राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 490 / 2025

जलज शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की तिथि : 12.02.2025
आदेश की दिनांक : 27.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री बिंजा राम जाजड़ा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पी एच सी, मोड का निम्बाहेडा, भीलवाडा में कार्यरत है। संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड के आलोच्य आदेश दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पीएचसी झालोडी, सिरोही में किया गया है तथा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आसीन्द भीलवाडा के आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त

करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाडोली जिला सिरोही में उपस्थिति देने के लिए आदेशित किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान निम्बाहेडा भीलवाडा में करीब 1.5 वर्ष से कार्यरत है तथा वह मूल रूप से जयपुर का निवासी है। उसका आगे कथन है कि वर्ष 2017 से वह ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहा है जिसमें 4 वर्ष जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र व 2 वर्ष भीलवाडा के ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे चुका है। आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण अपने निवास स्थान से करीब 500 किमी दूर झाडोली सिरोही में किया गया है।

3. अपीलार्थी का आगे कथन है कि उसके पिता का देहान्त हो चुका है तथा उसकी वृद्ध माताजी अकेले रहती है जिसकी देखभाल के लिए मात्र अपीलार्थी ही सदस्य है। अपीलार्थी की पत्नी दिल्ली में कार्यरत है तथा अपीलार्थी मधुमेय एवं उच्च रक्तचाप की बीमारी से ग्रसित है। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक–10) प्रस्तुत किया परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

4. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01. 2025 (अनुलग्नक–1) एवं आलोच्य आदेश दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक–2) एवं कार्यमुक्ति आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2025 (अनुलग्नक–3) को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी के पद पर पी एच सी, मोड का निम्बाहेडा, भीलवाडा में निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

6. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

7. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के

संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

8. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य